संख्या– 662 / III (2)/05–26(बजट)/2005

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 7 जून, 2005

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष में मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग के अधिकार मे लघु एवं छोटे निर्माण कार्यों हेतु रक्षित धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या– 527ए/XXVII(1)/वित्त अनुभाग–1/05 दिनांक 26.04.2005 के अनुपालन में एवं आपके पत्र संख्या–197/84–बजट (मुख्य भियन्ता अधिकार) /2005–06 दिनांक 08.04.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2005–06 में मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो.नि.वि. के अधिकार मे लघु और छोटे निर्माण कार्यो हेतु रक्षित प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना अनुमोदित लागत की सीमा तक सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित सीमान्तर्गत ही किया जायेगा, तथा व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

3. एकमुश्त प्राविधानों के कार्य कराये जाने से पूर्व विस्तृत आगणन लो.नि.वि. की दरों पर गठित कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4. निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व भूमि का परीक्षण भू–गर्भवेत्ता से अवश्य करा लिया जाय ।

5. निर्माण कार्य कराये जाने के निमित्त मद (आइटम्स) क्रय करते समय विभागीय नियमों/स्टोर परचेज नियमों एवं मितव्यता संबंधी नियमों का पालन भी अवश्य सुनिश्चित किया जाय ।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व विगत वर्ष की रक्षित धनराशि से कृत कार्यो का नाम व मदवार धनराशि का विवरणउपलब्ध करा दिया जायेगा। उक्त धनराशि से कृत कार्यों का विवरण 31.03.06 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

9. उक्त स्वीकृत धनराशि में कृत कार्यो की समयबद्धता एवं गुणवत्ता का समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा ।

10. इस संबध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–3054 सड़क तथा सेतु (क्रमशः) –80–सामान्य आयोजनागत–800 अन्य व्यय– 03 निर्माण–01 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के अधिकार में लघु और छोटे निर्माण कार्यो आर्थतक रक्षित धनराशि –24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

NIC-218

11- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0 189/वित्त अनुभाग-3/05, दिनांक, 06 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 562 (1)/लो.नि.2/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, इलाहाबाद, देहरादून।
2- आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. उत्तरांचल।
5- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
6- लोक निर्माण अनुभाग-1 /3
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।